>

Title: Need to take necessary steps regarding Anandpur Sahib Hydel Project.

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, हरियाणा एवं महामहिम राज्यपाल महोदय पंजाब के मध्य दिनांक 15.5.1984 को रोपड़ थर्मल पावर स्टेशन एवं आनंदपुर साहिब हाईडल परियोजना शुरू करने के बारे में एक अनुबंध हुआ है। इस अनुबंध का पार्ट द्वितीय नांगल रिजरवायर से आनंदपुर साहिब हाईडल परियोजना हाइडल चैनल के संबंध में है, जिसका सब क्लाज निम्नानुसार है।

" आनंदपुर साहिब हाईडल परियोजना, मुकेरियान हाईडल परियोजना, थीम बांध परियोजना, अपर बारी दोआब चैनल स्टेज-द्वितीय एवं शाहपुरकांडी हाईडल परियोजना से हरियाणा एवं राजस्थान राज्य द्वारा विद्युत उत्पादन में हिस्सा मांगने के संदर्भ में यह स्वीकार किया गया कि भारत सरकार इस प्रकार को उच्चतम न्यायालय में राय हेतु प्रस्तुत करेगी एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त राय सभी राज्य जिनके मध्य अनुबंध हुआ है, को प्रेषित की जायेगी जो कि उन्हें मान्य होगी।

सब पैरा (अ) एवं (ब) उच्चतम न्यायालय में भेजने जाने वाले टी.ओ.आर. के संबंध में है। "

अतः यह स्पष्ट है कि भारत सरकार इस प्रकरण को उच्चतम न्यायालय में राय हेतु प्रस्तुत करेगी एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राप्त राय सभी राज्यों जिनके मध्य अनुबंध हुआ है को मान्य होगी।

पंजाब सिंचाई व विद्युत हेतु रावी नदी पर शाहपुर कांडी बैराज का निर्माण करना चाहता है। 1981 के अनुबंध के तहत इस प्रोजेक्ट में जो भी पानी आयेगा, वो सहभागी राज्यों के मध्य बंटवारे योग्य है। राजस्थान का यह अनुभव रहा है कि पंजाब बीबीएमबी द्वासरा आवंटित जल रावी नदी पर निर्मित रणजीत सागर बांध से नहीं छोड़ता है। भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने शाहपुर कांडी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। राष्ट्रीय परियोजना होने के कारण राजस्थान का यह मत है कि इसका कंट्रोल बीबीएमबी के पास होना चाहिए।

राजस्थान राज्य ने सचिव उर्जा मंत्रालय भारत सरकार को पत्रांक दिनांक 22.12.09 द्वारा इस संदर्भ मे आज की स्थिति से अवगत कराने हेतु आग्रह किया है लेकिन इस संबंध में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान ने पत्र दिनांक 20.08.10 द्वारा माननीय उर्जा मंत्री, भारत सरकार से निवेदन किया है कि शाहपुर कान्डी परियोजना का कंट्रोल बीबीएम के पास होना चाहिए तथा 1984 के अधिनियम के तहत विद्युत बंटवारे के संबंध में प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायाल को प्रस्तुत करें।

...(*Interruptions*)

14.0 Â½ hrs.

_

At this stage Shri Ganesh Singh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब बातें रिकार्ड में नहीं जाएंगी।

*(Interruptions) â€¦**

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 A.M.

14.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Tuesday, August 28, 2012/Bhadrapada 6, 1934 (Saka).

* Placed in Library, See No. LT 7183/15/12.

â€¦.. This part of the speech was laid on the Table.

* Not recorded.